तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 41/2019	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
23.9.2022	पत्रावली पेश हुई। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी जयाराम वी पुत्र विनयन, जाति– इझावा, निवासी– मुलाकुझा, टाउन चेन्नानूर, जिला– एलेप्पी स्टेट केरल, मुख्य संचालन अधिकारी एवं अधिकृत प्रतिनिधि, फर्म सन होटल एण्ड रिसोर्ट, SPL–7, रिको ग्रोथ सेंटर, द्वितीय फेज, पालनपुर हाईवे, आबूरोड़, जिला– सिरोही के अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया उपस्थित। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी जयाराम वी के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म सन होटल एण्ड रिसोर्ट, रिको ग्रोथ सेंटर, पालनपुर हाईवे, आबूरोड़, जिला– सिरोही में मुख्य संचालन अधिकारी एवं अधिकृत प्रतिनिधि जयाराम वी पुत्र विनयन, जाति– इझावा, निवासी–मुलाकुझा, टाउन चेन्नानूर, जिला– एलेप्पी, स्टेट केरल से दिनांक 15.5.2019 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किया गया खाद्य पदार्थ तुअर दाल (सम्राट ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-941 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./399/Act/2019/445 दिनांक 23.3.2019 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी जयाराम वी की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया उपस्थित हुये. एवं प्रतिवादी जयाराम वी की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी के वकील ने प्रतिवादी की ओर से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 78 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य पदार्थ तुअर दाल (सम्राट ब्राण्ड) की निर्माता फर्म को पक्षकार बनाये जाने का अनुरोध किया। उक्त प्रार्थना पत्र का आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 78 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी के वकील की बहस सुनी जाकर बाद सुनवाई पक्षकारान इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.2.2022 के द्वारा प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 78 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 को खारिज किया गया। प्रकरण में अन्तिम बहस हेतु नियत दिनांक 14.9.2022 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। प्रतिवादी के अधिवक्ता की दिनांक 14.9.2022 को बहस सुनी गई। प्रतिवादी के अधिवक्ता ने प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ तुअर दाल (सम्राट ब्राण्ड) का नमूना लेने के संबंध [illegible] कार्यवाही प्रतिवादी के सामने निष्पादित नही की ग[illegible] ही ऐसी कोई कार्यवाही प्रतिवादी के संस्[illegible] अलग अलग कंटेनरों में लेकर [illegible] प्रतिवादी के समक्ष नही की गई है। प्रतिवादी को आवेदक द्वारा Nabl Accredeted [illegible] .....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:54:40 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 41/2019	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
	से जांच कराने के संबंध में किसी प्रकार की कोई जानकारी नही दी एवं न ही प्रतिवादी ने ऐसी जांच कराने से मना किया। आवेदक द्वारा प्रतिवादी के समक्ष नमूना लेने की कार्यवाही सम्पादित नही करने से नमूना लेने की पूरी कार्यवाही संदेहास्पद है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य विश्लेषक, जोधपुर के जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित नही की है, जिससे प्रतिवादी नमूने की रेफरल लेब से जांच कराने के अधिकार से वंचित रहा है। यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही दोषपूर्ण व अवैध है। खाद्य पदार्थ तुअर दाल (सम्राट ब्राण्ड) के खरीद का बिल आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अनुसंधान के दौरान प्रस्तुत कर दिया था, लेकिन आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सप्लायर फर्म व निर्माता फर्म से मेल मिलाप कर बिल को त्रृटि पूर्ण कर दिया। यह कि प्रतिवादी ने खाद्य पदार्थ तुअर दाल (सम्राट ब्राण्ड) को मूल कम्पनी पैक अवस्था में क्रय किया था। लेबल पर हुई त्रृटि के लिये प्रतिवादी जिम्मेदार नही है, बल्कि निर्माता फर्म जिम्मेदार है। प्रतिवादी ने मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ तुअर दाल सम्राट ब्राण्ड का निर्माण नही किया है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निर्माता फर्म को जानबूझकर इस प्रकरण में पक्षकार नही बनाया है, जबकि खाद्य पदार्थ तुअर दाल (सम्राट ब्राण्ड) का उत्पाद निर्माता फर्म द्वारा किया गया है ऐसी स्थिति में निर्माता फर्म इस प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निर्माता फर्म को पक्षकार नही बनाने के कारण यह न्याय निर्णयन आवेदन कानूनन परिपोषणीय नही है। अतः आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किया जावे। हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु दिनांक 15.5.2019 को समय 11.00 ए.एम. पर फर्म सन होटल एण्ड रिसोर्ट, रिको ग्रोथ सेन्टर, पालनपुर हाईवे, आबूरोड़, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर मुख्य संचालन अधिकारी एवं अधिकृत प्रतिनिध की हैसियत से जयाराम वी पुत्र विनयन, जाति– इझावा, निवासी–मुलाकुझा, टाउन चेन्नागूर, जिला– एलेप्पी, स्टेट केरल उपस्थित मिले, जो होटल में आम व खास जनता को तुअर दाल (सम्राट) की सब्जी व खाना बनाकर बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म सन होटल एण्ड रिसोर्ट, ग्रोथ सेन्टर, पालनपुर हाईवे, आबूरोड़ के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ तुअर दाल (सम्राट ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रतिवादी जयाराम वी को गवाह श्री नवल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही [illegible] चन्द्र प्रकाश प्रजापत पुत्र श्री पूरणचन्द प्रजापत, कुम्हारों का मो[illegible], [illegible]ड, जिला– सिरोही के समक्ष प्रपत्र प्रपत्र 5ए [illegible] प्राप्त की। पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्र [illegible] जयाराम वी, उक्त गवाहान व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने होटल के स्टोर में रखे [illegible] खाद्य पदार्थ तुअर दाल (सम्राट ......लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:54:40 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 41/2019	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

ब्राण्ड) के 25 किलोग्राम के एक पैक्ड बैग को खुलवाकर उसमें मौजूद तुअर दाल (सम्राट ब्राण्ड) को हिलामिलाकर एक रुप किया एवं इस एक रुप किये हुए खाद्य पदार्थ तुअर दाल (सम्राट ब्राण्ड) में से 4 किलोग्राम तुअर दाल (सम्राट ब्राण्ड) को एक साफ, सूखे एवं खाली भिगोनें में जांच हेतु खरीदा एवं खाद्य पदार्थ तुअर दाल की कीमत राशि रुपये 280/– (अक्षरे रुपये दो सौ अस्सी मात्र) प्रतिवादी जयाराम वी को अदा कर खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं सीरियल क्रमांक S–941, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादी एवं गवाह को चार साफ, सूखे, खाले जार दिखाकर खरीदशुदा खाद्य पदार्थ तुअर दाल (सम्राट ब्राण्ड) को चार साफ, सूखे, खाली जारों में बराबर–बराबर मात्रा में भरकर चारों जारों को ढ़क्कनों से एयरटाईट बन्द किया तथा खाद्य पदार्थ तुअर दाल (सम्राट ब्राण्ड) के मूल लेबल को एक नमूना जार के साथ लगाया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रत्येक नमूना जार पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लीप S-941 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी जयाराम वी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका रिपोर्ट तैयार की जिसे प्रतिवादी जयाराम वी ने पढ सुनकर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूनें को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई। मूल मौका फर्द न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है, जिस पर प्रतिवादी जयाराम वी, गवाहान एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पॅहुचकर विधिवत कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ तुअर दाल (सम्राट ब्राण्ड) का एक नमूना भाग व फार्म नं. 6 का एक सील बन्द लिफाफा दिनांक 17.5.2019 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जांच हेतु जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ तुअर दाल (सम्राट ब्राण्ड) के शेष सीलबन्द तीन नमूना भाग व फार्म नं. 6 का सीलबन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 15.5.2019 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./399/Act/2019 [illegible] के अनुसार खाद्य पदार्थ तुअर दाल (सम्राट ब्राण्ड) का न[illegible] S-941 मिथ्याछाप (Misbranded) पाया [illegible] पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि [illegible] चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के पत्र संख्याःएफएसएस[illegible]/2019/4981–84 दिनांक

.....लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:54:40 IST
Reason: SelfAttested

प्रा. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 41/2019	नम्बर व ता. ब अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

11.6.2019 के द्वारा प्रतिवादी जयाराम वी को खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट की प्रति भिजवाकर जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट होने की स्थिति में 30 दिन के भीतर अपील आवेदन प्रारुप–8 में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया है, लेकिन पुनः जांच हेतु प्रतिवादी जयाराम वी ने आवेदन प्रस्तुत नही किया। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि फर्म सन होटल एण्ड रिसोर्ट, रिको ग्रोथ सेंटर, पालनपुर हाईवे, आबूरोड़, जिला– सिरोही में मुख्य संचालन अधिकारी एवं अधिकृत प्रतिनिधि जयाराम वी ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ तुअर दाल (सम्राट ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत मिथ्याछाप(Misbranded) खाद्य पदार्थ तुअर दाल (सम्राट ब्राण्ड) के विक्रय हेतु फर्म सन होटल एण्ड रिसोर्ट, SPL–7, रिको ग्रोथ सेंटर, द्वितीय फेज, पालनपुर हाईवे, आबूरोड़, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 1,000/– (अक्षरे एक हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, प्रतिवादी जयाराम वी को आदेशित किया जाता है कि आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 21.10.2022 को पेश हो।

(के.आर.खौड़)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरोही

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:54:40 IST
Reason: SelfAttested